भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 633

दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्ते

633. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राहगीरों के लिए खतरा पैदा करने वाले आवारा कुत्तों की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अथवा नगर निगम में एक पशु कल्याण समिति हो के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दंडित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण करने के लिए कोई निधि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, आवारा पशुओं का प्रबंधन राज्य के स्थानीय निकायों का अधिदेश है, हालांकि, केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 10 मार्च 2023 के जी.एस.आर. 193 (ई) के द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अधिसूचित किएं हैं।

नियम 3 (1) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण आवारा कुत्तों को कम करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। उक्त नियमावली के नियम 9(3) के अनुसार रेबीज के उन्मूलन और मानव-पशु संघर्ष को कम करने हेतु आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी और समन्वय समिति, राज्य पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन और निगरानी समिति तथा स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है।

केंद्र सरकार ने एबीसी नियम, 2023 को दिनांक 23.03.2023 के पत्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को, दिनांक 27.03.2023 के पत्र द्वारा पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को और दिनांक 31.03.2023 के पत्र द्वारा सभी राज्यों के सभी जिलों के नगर निगम आयुक्त को पत्र के मूल भावना के साथ एबीसी नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए परिचालित किया।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड और पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल के बीच 2009 की रिट याचिका संख्या 691 में निर्देश दिया कि "....*इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि 1960 के अधिनियम या 2001 के नियमों के तहत जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने के लिए कोई नया तरीका या बहाना नहीं अपनाया जाना चाहिए। वैधानिक दायित्वों को पूरा करते समय किसी भी प्रकार की ढिलाई को कानून में स्वीकार नहीं किया जाता है।*". इसलिए, यह कहा जाता है कि आवारा कुत्ते को केवल पशु जन्म नियंत्रण के माध्यम से उनकी आबादी को नियंत्रित करके प्रबंधित किया जा सकता है।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश को पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में शामिल किया गया है। एबीसी नियम, 2023 के नियम 20(1) के अनुसार, सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी। नियम 20 (2) के अनुसार, आरडब्ल्यूए या एओए और पशु देखभाल करने वालों या अन्य निवासियों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा।

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, पशु देखभाल करने वालों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने पर, व्यक्तिगत रूप से संबंधित आरडब्ल्यूए से अनुरोध करता है कि सामुदायिक पशुओं को खिलाने के संबंध में विवाद को हल करने के लिए जीव-जंतु कल्याण समिति बनाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, बोर्ड ने अब तक जीव-जंतु कल्याण समिति के गठन के लिए दिल्ली राज्य में आरडब्ल्यूए को 83 पत्र जारी किए हैं।

(ग) जी नहीं

(घ) और (ङ) जी हां। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता जारी की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने स्थानीय प्राधिकरण सहित मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संगठन (संगठनों) को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए वित्तीय सहायता जारी की। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के तहत एनसीडीसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त निधि भी जारी की थी,। इस कार्यक्रम को हरियाणा राज्य में ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल (एचएसआई) इंडिया, मुंबई, वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विसेज, ऊटी एंड फ्रेंडीकोज एसईसीए, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता अनुबंध "क" में संलग्न है।

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता अनुबंध "ख" में संलग्न है।

अनुबंध "क"

दिनांक 6 फरवरी 2024 को उत्तर देने के लिए

श्री श्याम सिंह यादव द्वारा पूछा गया

अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 633

एएससीएडी के तहत आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए जारी निधि निम्नानुसार है:

वर्ष 2023-24 के दौरान एएससीएडी के तहत रेबीज टीकाकरण लागत का विवरण (लाख रुपये में)				
क्र. सं.	राज्य	खुराकों की संख्या	राज्य के हिस्से सहित कुल अनुमोदित निधियां	जारी केंद्रीय हिस्सा
1	हिमाचल प्रदेश	0.70	7.32	6.58
2	जम्मू और कश्मीर	0.50	5.00	5.00
3	केरल	9.90	115.83	69.50
4	सिक्किम	0.30	16.20	14.58
5	पश्चिम बंगाल	1.15	13.28	7.97
6	पुदुचेरी	0.20	6.00	6.00
7	महाराष्ट्र	4.07	41.84	25.10
8	मणिपुर	3.00	135.00	121.50
9	गुजरात	0.75	7.50	4.50
10	ओडिशा	1.00	33.00	19.80
11	आंध्र प्रदेश	7.00	91.00	54.60
12	छत्तीसगढ़	0.28	38.40	7.20
13	मेघालय	1.00	34.00	30.60
14	उत्तर प्रदेश	15.00	150.00	90.00
15	उत्तराखंड	1.00	17.00	15.30
16	तमिलनाडु	0.36	11.88	7.13
17	कर्नाटक	10.00	210.00	126.00
	जारी कुल	56.21	933.25	611.36

वर्ष 2022-23 के दौरान एएससीएडी के तहत रेबीज टीकाकरण लागत का विवरण (लाख रुपये में)				
क्र. सं.	राज्य	खुराकों की संख्या	जारी कुल निधि	जारी केंद्रीय हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	6.00	58.00	34.80
2	बिहार	0.10	3.00	1.80
3	छत्तीसगढ़	0.28	8.40	5.04
4	कर्नाटक	3.21	96.30	57.78
5	मणिपुर	3.50	157.50	141.75
6	सिक्किम	0.35	9.80	8.82
7	उत्तर प्रदेश	4.00	132.00	79.20
8	उत्तराखंड	1.00	10.00	9.00
	कुल	18.44	475.00	338.19

वर्ष 2021-22 के दौरान एएससीएडी के तहत रेबीज टीकाकरण लागत का विवरण (लाख रुपये में)				
क्र. सं.	राज्य	खुराकों की संख्या	जारी कुल निधि	जारी केंद्रीय हिस्सा
1	महाराष्ट्र	35.53	33.20	19.92
2	छत्तीसगढ़	0.28	8.4	5.04
3	मणिपुर	3.00	120.00	108.00
4	उत्तराखंड	1.00	10.00	9.00
5	मेघालय	1.25	75.00	67.50
6	जम्मू और कश्मीर	0.70	35.00	35.00
	कुल	41.76	281.6	244.46

वर्ष 2020-21 के दौरान एएससीएडी के तहत रेबीज टीकाकरण लागत का विवरण (लाख रुपये में)				
क्र. सं.	राज्य	खुराकों की संख्या	जारी कुल निधि	जारी केंद्रीय हिस्सा
1	मणिपुर	2 लाख	80.00	72
2	छत्तीसगढ़	0.27 लाख	16.20	9.72
3	कर्नाटक	3.21 लाख	33.64	22.43
4	ओडिशा	14 लाख	28.00	16.80
5	उत्तराखंड	1 लाख	8.00	7.20
6	महाराष्ट्र	1.10 लाख	17.30	10.38
7	हिमाचल प्रदेश	0.70 लाख	6.15	5.53
8	जम्मू और कश्मीर	0.63 लाख	31.50	31.50
9	अरुणाचल प्रदेश	0.50 लाख	17.00	15.30
10	राजस्थान	1.00 लाख	23.00	13.80
11	पश्चिम बंगाल	1.15 लाख	14.49	8.69
	कुल		275.28	213.35

अनुबंध "ख"

दिनांक 6 फरवरी 2024 को उत्तर देने के लिए अतारांकित

श्री श्याम सिंह यादव द्वारा पूछा गया

लोक सभा प्रश्न संख्या 633

(क) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने *"आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण के लिए योजना"* के तहत स्थानीय प्राधिकरण सहित मान्यता प्राप्त जीव जंतु कल्याण संगठन (संगठनों) को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए वित्तीय सहायता जारी की। जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	राशि	वित्तीय वर्ष	राशि
2014-15	96,83,929/-	2015-16	44,32,708/-
2016-17	29,54,600/-	2017-18	53,40,470/-
2018-19	29,23,348/-	2019-20	2,93,255/-
2020-21	2,12,265/-		

(ख) विभिन्न राज्यों में पिछले 10 वर्षों में एडब्ल्यूबीआई की सहायता से की गई कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	एडब्ल्यूबीआई अनुदान से एबीसी की संख्या	राज्य का नाम	एडब्ल्यूबीआई अनुदान से एबीसी की संख्या
आंध्र प्रदेश	26857	राजस्थान	3307
बिहार	7909	महाराष्ट्र	3518
गोवा	8678	तमिलनाडु	7848
गुजरात	1557	उत्तर प्रदेश	364
हिमाचल प्रदेश	841	उत्तराखंड	11549
जम्मू और कश्मीर	1079	पश्चिम बंगाल	5296

(ग) इसके अलावा, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के तहत एनसीडीसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त निधि भी जारी की थी इस कार्यक्रम को हरियाणा राज्य में ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल (एचएसआई) इंडिया, मुंबई, वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विसेज, ऊटी एंड फ्रेंडीकोज एसईसीए, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। उक्त परियोजना के अंतर्गत जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि	एबीसी कार्यक्रम की संख्या
1	2014-15	10,00,000/-	
2	2015-16	1,75,00,000/-	21679
3	2016-17	2,10,32,012/-	45341
4	2017-18	1,56,60,700/-	
5	2018-19	-	
6	2019-20	1,27,43,200/-	
	कुल	6,79,35,912/-	